

**उत्तराखण्ड शासन,  
राज्य योजना आयोग )नियोजन विभाग(  
विश्वकर्मा भवन चतुर्थ तल, सचिवालय परिसर।**

**विज्ञप्ति**

राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों के व्यय वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों के प्राक्कलनों की जांच एवं नियोजन विभाग के अन्तर्गत अन्य तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु सलाहकार )अभियांत्रिकी (के पद पर अभियन्तण विभागों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियन्ताओं को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया जाना है। इस सम्बन्ध में ऐसे डिग्रीधारी सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों से निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध )नियत मानदेय (के आधार पर नियत कालिक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-:

क्र० सं०	पदनाम	पद संख्या	नियत मासिक वेतन	तकनीकी कार्य क्षेत्र	अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	सलाहकार (अभियांत्रिकी)	03	रू० 1,00,000.00	1. भवन निर्माण] मार्ग एवं सेतु निर्माण कार्य। 2. पेयजल एवं सीवरेज का कार्य। 3. विद्युत/यांत्रिक सम्बन्धी कार्य।	सेवानिवृत्त डिग्रीधारी मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता जिन्हें स्तभ-5 में अंकित भवन निर्माण, मार्ग एवं सेतु कार्य, पेयजल एवं सीवरेज का कार्य तथा विद्युत/ यांत्रिक सम्बन्धी कार्यों की डी0पी0आर0 तैयार करने, उनका तकनीकी परीक्षण करने, निर्माण कार्या की जांच तथा तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण एवं क्षेत्र में कार्य सम्पादन का न्यूनतम 25 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त हो।

1. आवेदक की आयु आवेदन की अन्तिम तिथि को 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्तियां पूर्ण रूप से अनुबन्ध के आधार पर 02 वर्ष अथवा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष जो भी पहले घटित हो, के आधार पर की जायेगी।

3. विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप, योग्यता, शर्तें तथा निर्देश राज्य योजना आयोग की website: [spc.uk.gov.in](http://spc.uk.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है अथवा किसी भी कार्य दिवस में कक्ष संख्या-425, चतुर्थ तल, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. आवेदक द्वारा पूर्व में नियोजित विभाग द्वारा आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की vigilance /अपराधिक/अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही न होने तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही लम्बित न होने का घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा।
5. प्राप्त आवेदनपत्रों की जाच (scrutiny) के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थी को साक्षात्कार में आमंत्रित किये जाने पर यदि कोई अभ्यर्थी Virtually साक्षात्कार में सम्मिलित होना चाहते हो तो उन्हें इस हेतु अनुमति होगी तथा यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं चयन समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहते हो तो उन्हें उसी रूप में साक्षात्कार लिये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार हेतु स्वयं चयन समिति के समक्ष उपस्थित होंगे उन्हें इस हेतु कोई यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थी को सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्ध चयनित अभ्यर्थियों में से आवश्यकतानुसार संविदा सेवा में रखे जायेंगे।
7. आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सचिव (प्रभारी), नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग), चतुर्थ तल, कक्ष संख्या-417, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर, देहरादून को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ई-मेल [advisorspc123@gmail.com](mailto:advisorspc123@gmail.com)/ [sumitsemwal6@gmail.com](mailto:sumitsemwal6@gmail.com) पर दिनांक 06.08.2021 को समय 5.00 बजे तक उपलब्ध करा दे।

गंगा प्रसाद पन्त,  
तकनीकी विशेषज्ञ  
राज्य योजना  
आयोग।

## आवेदन पत्र प्रारूप

### अ. व्यक्तिगत विवरण:

आवेदक का नाम :  
पिता का नाम :  
जन्मतिथि :  
आवासीय पता :  
पत्राचार का पता :  
ई-मेल :  
दूरभाष :  
स्थानीय भाषा का ज्ञान :

### ब. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण विवरण :

परीक्षा/उपाधि का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	संस्थान
----------------------	---------------	---------

हाईस्कूल  
इण्टरमिडिएट  
बी.टैक/बी.ई.  
एम.टैक./एम.ई.  
पी०एच०डी०  
अन्य

### ग. तकनीकी योग्यता विवरण

तकनीकी अनुभव की अवधि (विवरण संलग्न करें) :  
सेवानिवृत्ति के समय धारित पद :  
विभाग का नाम :  
मूल वेतन :  
प्रशासनिक कार्य प्रणाली का विवरण :  
विभिन्न तकनीकी संस्थानों की सदस्यता :  
विशिष्ट अनुभव :  
कार्य विधि/कार्य प्रणाली का विवरण :  
विशिष्ट कार्यों का विवरण :  
सिविल अभियान्तिकी क्षेत्र में निर्माण कार्यों का विवरण (भवन/सड़क/पेयजल/सिंचाई आदि)

### घोषणा पत्र: 1

मैं निवासी जनपद  
घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे संघ सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/स्थानीय प्राधिकारी  
या संघ सरकार/राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी निगम/निकाय द्वारा पदच्युत नहीं किया गया  
है। मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाच लम्बित नहीं है तथा मैं नैतिक अधमता  
अथवा किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध नहीं हूँ।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर

### घोषणा पत्र-2

मैं निवासी  
जनपद घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण आवेदन पत्र में अंकित  
किया गया वह सत्य है, चयन/नियुक्ति किसी स्तर पर कोई गलत सूचना पाये जाने अथवा फर्जी  
पाये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम एवं हस्ताक्षर